न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
119/21	88, 89 RTA	दूगरी	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मोहर बाई	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :- श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0 **आदेश पत्रक** वकील:-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10.09.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.11.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8.11.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० [illegible] कागजात प्रकरण के [illegible] के उप० नहीं [illegible] विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जावे। पत्रावली वादी बहस दिनांक 18.11.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बारां	
18.11.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० [illegible] वकील वादी कागज पेश करना नहीं चाहते कागज वादी बहस की जावे। बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। पत्रावली वादी आदेश दिनांक 3.12.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3.12.21	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 17.12.21 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
17.12.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। लिखित निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया [illegible] वाद तामील तकमील के [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बारां	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस. उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राजस्थान

प्रकरण नं. :- 119/2021 दावा
दायरा दिनांक :- 10.9.2021
निर्णय दिनांक :- 17.12.21

उन्वान

मोहर बाई उर्फ मोहनी बाई पुत्री रामसुख पत्नी भंवरलाल जाति बैरवा नि. ग्राम कोटडा तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89 RTA
निर्णय दिनांक :- 17.12.21

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कुंजरा तहसील बारां के ख.नं. 187 रकबा 0.01 हे. ख.नं. 398 रकबा 0.46 हे. ख.नं. 399 रकबा 0.36 हे. ख.नं. 74 रकबा 0.13 हे. कुल किता 4 रकबा 0.96 हे. आराजी स्थित है। उक्त आराजी में वादिया का 1/5 हक एवं हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पैतृक आराजीयात है जो वादिया को अपने पिता रामसुख की मृत्यु उपरान्त जरिये फौती नामा. - विरासतन प्राप्त हुई है। वादिया के पिता रामसुख की मृत्यु उपरान्त विरासत खोले गये वाके ग्राम कुंजरा के नामा. के दौरान हल्का पटवारी ने मृतक रामसुख के विधिक वारिसान के रूप में वादिया का नाम मोहरबाई के स्थान पर मोहनीबाई गलत रूप से दर्ज कर नामा. तस्दीक कर दिया। जिससे वादिया का नाम मोहरबाई [illegible] मोहनीबाई गलत अंकित हो गया जबकि बैंक पास बुक, [illegible] आधार कार्ड, जनआधार

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी राजकीय दस्तावेजो में वादिया का नाम मोहनबाई दर्ज है वादिया के राजकीय एवं बैंकों व मतदाता सूची आदि सम्पूर्ण दस्तावेजो मे नाम मोहन बाई दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मोहनीबाई दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख मे वादिया के नाम मे विसंगति आ जाने से वादिया को बैंक ऋण एवं राजकीय एवं अन्य राजकीय लेनदारों मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है राजस्व रिकार्ड मे वादिया के गलत दर्ज हुए नाम मोहनी बाई के बजाय मोहनबाई दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड की त्रुटि को सही किया जाना अति आवश्यक है राजस्व कार्मिको द्वारा की गई त्रुटि से इसके राजस्व के सभी ग्राम० मे मोहनबाई का नाम मोहनीबाई दर्ज होने से वादिया बैंक ऋण, के.सी.सी एवं फसल बीमा मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो रही है इस कारण वादिया अपने नाम की त्रुटि को दुरुस्त करवाकर मोहनीबाई के स्थान पर मोहनबाई खातेदार कृषक होने की विधिक जानकारी की घोषणा करवाने की अधिकारी है, वाद कारण दिनांक 2.9.2021 को वादिया को बैंक द्वारा के.सी.सी नहीं दिये जाने पर तहसील बारां क्षेत्र मे उत्पन्न - हुआ। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

वादिया का वाद दर्ज रजि० कर प्रति वादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति वादी बावजूद सूचना के न्याया-लय उप. नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम डूंगरा सम्वत 2071-74 खाता नं. 167, फोटो प्रति आधार कार्ड मोहनबाई, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, फोटो प्रति बैंक पास बुक, पेश की गयी। वकील वादी द्वारा कोई गवाह पेश नहीं की गयी

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी [illegible] अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि [illegible] आराजी वाके ग्राम डूंगरा तह० बारां के [illegible] जिला का खातेदार होने से वाद वादिया का नाम मोहनी नाम० [illegible] नाम ग्राम० मे सही कराने

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लगान ~~वर्ष के~~ मोहनजोत के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज कर दिया गया जबकि वादिया का वास्तविक नाम मोहनजोत है वादिया के अन्य दस्तावेजात में मोहनजोत दर्ज है परन्तु फौती नामा. खोलते समय वादिया का नाम मोहनजोत के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज कर दिया गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है वादिया को राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि के परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादिया अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड से दुरुस्त करवाना चाहती है वादिया का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गयी पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कूंथरा संवत 2071-74 खाता नं. 167 के अनुसार जमाबंदी में क्रम नं. 5 पर मोहनीबाई दर्ज है आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र में मोहनजोत दर्ज है, वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वादिया के पिता की मृत्यु के बाद फौती नामा. खोलते समय वादिया का नाम मोहनजोत के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज करना बताया है। वादिया ~~सत~~ का नाम नामा. खोलते समय गलत दर्ज हुआ है वादिया को नामा. की नकल प्रस्तुत कर नामा. को खारिज करवा कर पुनः नामा. खोलते समय नाम सही दर्ज करवाना चाहिए था परन्तु वादिया द्वारा नामा. की नकल प्रस्तुत न करके 88.89 RTA का वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उप खण्ड अधिकारी/बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner